

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा जिला सागर (म.प्र.)

तीन वर्ष हेतु सुदाना परिवहन
पंचम (अल्पकालीन) ई-निविदा

अवधि 21 / 10 / 2022 से 30 / 09 / 2025 तक

(इकाई-बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर)

सिरौंजा सागर दूरभाष क्र0 9179098046

E- Mail : cfpsagar@gmail.com

**बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
इकाई पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर**

Phone :9179098046

E- mail : cfpsagar@gmail.com

**: : तीन वर्ष हेतु सुदाना पशु आहार परिवहन
पंचम (अल्पकालीन) ई-निविदा: :**

क्रमांक / 104 / प.आ.सं / सिरौंजा / 2022

सागर, दिनांक:— 13 / 10 / 2022

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर की इकाई पशु आहार संयंत्र, सिरौंजा जिला सागर में तीन वर्ष की अवधि के लिये सुदाना पशु आहार परिवहन हेतु ई- निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकर्ता राशि रु 500 /— (पाँच सौ रुपये मात्र।) का ऑनलाईन भुगतान कर ई-टेण्डरिंग वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर दिनांक 13 / 10 / 2022 दोपहर 02:00 बजे से दिनांक 18 / 10 / 2022 शाम 03:00 बजे तक निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय कर सकते हैं। निविदा अपलोड करने का अंतिम समय दिनांक 18 / 10 / 2022 शाम 04:00 बजे तक है। निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण संघ की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर पठन हेतु उपलब्ध है।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट, सागर— 470001**

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर

—: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :—

सुदाना परिवहन

क्र०	विवरण	समय एवं दिनांक
1	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की तिथि एवं समय	13/10/2022 दोपहर 02:00 बजे से
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	18/10/2022 दोपहर 03:00 बजे तक
3	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	18/10/2022 दोपहर 04:00 बजे तक
4	तकनीकी निविदा समिति के समक्ष खोलने की तिथि एवं समय	19/10/2022 दोपहर 04:00 बजे

निविदा खोलने का स्थान	:—	पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, सागर (म.प्र.)
निविदा प्रपत्र की कीमत	:—	रुपये 500/— (रुपये पाँच सौ मात्र) जो केवल ऑनलाईन ही क्रय किये जावे यह राशि वापसी योग्य नहीं।
अमानत राशि	:—	रुपये 25,000/—(रुपये पच्चीस हजार मात्र) ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।
प्रतिभूति राशि	:—	रुपये 3,75,000/—(रुपये तीन लाख पचहत्तर मात्र) अनुबंध के समय बैंक ड्राफ्ट जो CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट :— शर्त क्र० 10 अनुसार मांगे गये दस्तावेज तकनीकी निविदा दिनांक एवं समय से पूर्व बन्द लिफाफे में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रभारी महाप्रबंधक

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर

—: पशु आहार परिवहन की शर्तें :—

1. पशु आहार, सुदाना परिवहन निविदा की दरें ई—निविदा के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार होंगी।
2. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। पशु आहार संयंत्र सिरौंजा सागर से विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु परिवहन की दरें अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी प्रस्तुत की जावें।
3. विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु दी जाने वाली निविदा दरें “रूपये प्रति मै.टन”(One Way दरें) प्रपत्र में दर्शाये गये स्थानों के लिए देय होगी।
4. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र सिरौंजा सागर के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। **साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता है, इसके पश्चात् ट्रक अगले दिन ही भरे जावेंगे।**
5. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार शीत केन्द्रों/संयंत्रों पर तत्काल भेजा जाना है, तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समय अवधि के पश्चात् (शाम 05 बजे के बाद) पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र सिरौंजा सागर के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् परिवहनकर्ता को या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्य आदेश प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा, निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जायेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेंगे। ट्रांसपोर्ट की स्लिप (विल्टी) जिस पर गंतव्य स्थान गाड़ी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षा शाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टि करने के उपरान्त ही वे ट्रक लेकर भरने के लिये आयेंगे। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग से स्लिप लेकर एवं स्लिप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेंगे एवं परिवहन ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ट्रक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रय शाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा शाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जावेंगे। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खड़ा नहीं किया जावेगा। यदि गाड़ी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते हैं, तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं आर्थिक दण्ड तथा परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। परिवहनकर्ता का कोई भी ट्रक ड्रायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।

7. यदि परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11 बजे तक लिखित में कार्य निर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता पर **₹0 1000/— (₹0 एक हजार मात्र)** का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा।
8. संयंत्र से वाहन भराने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टि के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुँचने हेतु उतना समय दिया जायेगा जितना समय दुग्ध संकलन वाहनों को दुग्ध संस्था तक पहुँचने में लगता है। देरी की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
9. अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है, उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के विपणन शाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना होगा। परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहाँ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध संस्था तक पहुँच जावेगा, इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।
10. परिवहनकर्ता के वाहन का आर0टी0ओ0 से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है, **एवं निविदाकर्ता के पास स्वयं के या फर्म के तीन वाहन (ट्रक) होना आवश्यक है, एवं पशु आहार की मांग अनुसार 10 मे.टन, 12 मे.टन, 15 मे.टन, 20 मे.टन, 22 मे.टन एवं 24 मे.टन के लोडिंग ट्रक उपलब्ध करना होगा।**
11. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा है, उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाड़ी) अच्छी हालत में होना चाहिये, पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने कटने की दशा में परिवहनकर्ता को नुकसान का वहन करना होगा।
12. पशु आहार संयंत्र ट्रक लोडिंग की दरें ठेकाश्रमिक व्यवस्था में लोडिंग की स्वीकृत दरों पर की जायेगी। जिसका भुगतान ट्रॉसपोर्टर को करना होगा। इसके पश्चात् दुग्ध शीत केन्द्रों पर ट्रक अनलोडिंग की व्यवस्था ट्रॉसपोर्टर द्वारा की जायेगी, एवं दुग्ध शीत केन्द्र पर हम्मालों को देय राशि का भुगतान एवं हम्मालों की व्यवस्था ट्रॉसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी। दुग्ध शीत केन्द्र के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हम्मालों की व्यवस्था नहीं की जायेगी एवं अनलोडिंग की दरें भी निश्चित नहीं की जा सकेंगी। वर्तमान में म.प्र. शासन द्वारा नई गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें पशु आहार परिवहन हेतु दरें वर्तमान में समान दूरी पर स्थित गौशालाओं अथवा दुग्ध शीत केन्द्रों की स्वीकृत दरों पर पशु आहार परिवहन की व्यवस्था करना ट्रॉसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।
13. कार्य निर्देश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा कर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा। कुछ दुग्ध संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। **ट्रक उपलब्ध न कराने पर रुपये 1000/—(रुपये एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है, तथा इस व्यवस्था में अतिशेष भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली की जावेगी।**

14. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना प्रति 9 मै.टन भार के अनुसार की जावेगी। दरों में कमी/वृद्धि की गणना डीजल की विक्रय दर में न्यूनतम 1 रु0/लीटर का अंतर आने पर ही की जावेगी।

क्रमांक

वाहन का प्रकार

औसत प्रति लीटर

01

ट्रक,

04 कि.मी.

- इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी। निविदा से सम्बंधित किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता निविदाकार को हो तो वह प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र से प्राप्त कर सकता है। निविदा में भाग लेने का अर्थ है, कि निविदाकार द्वारा निविदा की समस्त शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है। निविदा में दरें स्वीकृत होने पर कार्य आदेश प्राप्ति पर यदि परिवहन कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो निविदाकार की **EMD** राशि राजसात कर ली जायेगी एवं भविष्य में होने वाली समस्त निविदाओं में काली सूची में डाल दिया जायेगा।
15. पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, सागर से गौशालाओं एवं प्रायवेट सेंटरों को पशु आहार का परिवहन किया जा रहा है। उक्त पशु आहार प्रदाय की सामान्यतः मात्रा 3 मै.टन से 10 मै.टन तक होती है। इसलिए निविदाकर्ता को गौशाला एवं प्रायवेट सेंटरों को पशु आहार परिवहन हेतु लोडिंग वाहन जिसकी क्षमता 10 मै.टन हो उपलब्ध करानी होगी। परिवहनकर्ता को पशु आहार की मांग एवं आवश्यकतानुसार एक स्थान से लेकर पांच से छः स्थानों पर वाहन खाली करवाया जा सकता है, जिसके लिए परिवहनकर्ता बाध्य रहेगा। यदि निविदाकर्ता द्वारा गौशालाओं की दरें प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
16. सभी दुग्ध शीत केन्द्रों में 10 मै.टन से 25 मै.टन पशु आहार की मात्रा परिवहन की जाती है। डिमाण्ड की मात्रा घटती या बढ़ती रहती है, इस स्थिति में किसी भी चिलिंग सेंटर के लिए पशु आहार की मांग निर्धारित नहीं की जा सकती। अतः परिवहनकर्ता को डिमाण्ड के अनुसार ही वाहन उपलब्ध कराना होगा।
17. अनुबंध की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष की होगी, तदपि परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.) द्वारा उन्हीं दरों एवं शर्तों पर दो वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी।
18. उभय पक्षों द्वारा दो माह की पूर्व सूचना के उपरांत यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
19. पशु आहार संयंत्र से दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों के गोडाउन तक पशु आहार लोडिंग एवं अनलोडिंग की जबाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। इस हेतु संघ/दुग्ध समिति/प्रभारी दुग्धशीत केन्द्र द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा और हम्मालों की व्यवस्था भी ट्रॉसपोर्टर को करनी होगी।
20. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता की होगी। इस कारण संयंत्र को हुई हानि की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूली की जायेगी।

21. निविदाकार या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों/दुग्ध समिति कर्मचारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिए।
22. दोनों पक्षकारों के बीच हुए ठेके के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के समक्ष रखा जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी तथा मान्य होगा।
23. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तों का पालन न किए जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
24. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रुपये **25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)** **CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** को देय ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पशु आहार संयंत्र के खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से अर्नेस्ट मनी जमा करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
25. निविदा अस्वीकृत होने पर अर्नेस्ट मनी की वापसी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में 30 दिनों पश्चात् ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वापस की जा सकेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
26. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को संलग्न शर्तों के तहत अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसमें प्रतिभूति राशि रुपये **3,75,000/- CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** के नाम डी.डी. द्वारा जमा होगी। निर्धारित समयावधि में सुरक्षा निधि जमा न करने पर निविदा निरस्त की जायेगी एवं **EMD** राशि राजसात कर ली जायेगी।
27. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिये दी गई विभिन्न जानकारीयों तथा अनुबंध की शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा वे इससे सहमत हैं। निविदाकार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्त लगाई जाती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को एक अथवा समस्त निविदायें अमान्य करने का अधिकार रहेगा।
28. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये। किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्तार नामा है। इस प्रकार की उक्त फर्म "भारतीय भागीदार अधिनियम" के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
29. ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ठेकेदार की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
30. परिवहन के दौरान मार्ग में सुदाना, सुदाना सुपर में किसी भी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी माना जावेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।

31. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।
32. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुँचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयकों का भुगतान किया जावेगा। निर्धारित स्थान पर प्राप्ति में कमी पाये जाने पर पशु आहार पर लोडिंग परिवहनकर्ता के देयकों से अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर कटौती किया जावेगा।
33. परिवहनकर्ता के देयकों से शासन के नियमानुसार आयकर, सर्विस एवं स्वच्छता कर तथा समय-समय पर लगने वाले अन्य करों आदि का कटौती किया जावेगा।
34. संयंत्र में भराने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के टैक्टर-ट्राली को ट्रक एवं मेटाडोर से पहले प्राथमिकता के आधार पर भराया जाएगा।
35. सुदाना भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से संयंत्र के तौल कांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे ट्रक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता द्वारा खाली एवं भरे ट्रक की तौल कांटा पर्ची प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विपणन शाखा द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में बिलम्ब के लिये परिवहनकर्ता/ट्रक ड्रायवर स्वयं जवाबदार रहेंगे।
36. उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो 2 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर राशि राजसात की जाकर परिवहनकर्ता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जावेगा।
37. पशु आहार चालान पर अंकित निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रदाय करते हुए पाये जाने पर परिवहनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अमानत राशि राजसात करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा जिस हेतु परिवहनकर्ता जवाबदार होगा।
38. समस्त अदालती विवाद सागर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
39. परिवहनकर्ता द्वारा **GST** रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
40. अवकाश के दिनों में या अपरिहार्य कारणों से दुग्ध समितियों पर पशु आहार अनलोडिंग में देरी होती है तो दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता को किसी भी प्रकार का हल्टिंग चार्ज नहीं दिया जायेगा।
41. यदि लगातार तीन बार परिवहन कार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.) को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई, अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

42. यदि निविदाकर्ता द्वारा दरें स्वीकृत करने के पश्चात् परिवहन कार्य नहीं किया जाता है तो उक्त निविदाकर्ता की अमानत राशि, सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी एवं उक्त निविदाकर्ता को ब्लैक लिस्ट कर पशु आहार संयंत्र की भविष्य में होने वाली समस्त परिवहन निविदा में प्रतिबंध लगाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।
43. परिवहनकर्ता के उक्त वाहन स्वयं के रजिस्टर होने चाहिए या अनुबंधित होना चाहिए अनुबंध की स्थिति में अनुबंधित वाहन की पार्टनर शिप होना अनिवार्य है एवं इसकी स्वच्छ प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
44. परिवहनकर्ता के समस्त दस्तावेज की स्वच्छ प्रतिलिपियाँ तकनीकी निविदा के समय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं समिति यदि चाहे तो उक्त प्रतिलिपियों के मिलान हेतु ओरिजनल डाक्यूमेंट भी मंगा सकती है।
45. दुग्ध शीत केन्द्रों/संयंत्रों से सुदाना की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य सुदाना, एवं सुदाना सुपर की मात्रा कम ज्यादा हो सकती हैं।
46. परिवहनकर्ता द्वारा पशु आहार पहुँचाने के दौरान किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है तो क्षतिपूर्ति हेतु परिवहनकर्ता के देयक बिलों से पशु आहार की राशि (पशु आहार एक्स फैक्ट्री) दर से परिवहनकर्ता के देयकों से काटी जायेगी। यदि राशि देयकों की राशि से अधिक है तो परिवहन की सुरक्षानिधि से क्षतिपूर्ति की जायेगी। जो परिवहनकर्ता को मान्य होगी।
47. यदि एक ही रूट पर दो या अधिक दुग्ध शीत केन्द्र हैं तो मॉग अनुसार एक ट्रक पशु आहार परिवहन हेतु परिवहनकर्ता को वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जो कि आवश्यकतानुसार दुग्ध शीत केन्द्रों पर मॉग अनुरूप पशु आहार उपलब्ध करायेगा।
48. परिवहनकर्ता 1 से 15 तारीख तक के देयक 25 तारीख व 16 से 30/31 तारीख तक देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र सिरौजा सागर कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे। जिसका भुगतान कार्यालयीन औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् प्रति माह कार्यालयीन दिवस में शासन के आदेशानुसार समस्त करो का कटौती कर किया जावेगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा बिल बिलम्ब से प्रस्तुत किये जाते हैं तो बिलों के भुगतान में देरी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ट्रांसपोर्ट बिल हेतु बिल के साथ डीजल की वास्तविक दरें प्रस्तुत करने पर ही बिलों को भुगतान हेतु प्रक्रिया में लाया जायेगा।
49. सभी सेन्टरों हेतु दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी भी एक सेन्टर पर दरें प्रस्तुत नहीं की जाने पर आपकी निविदा स्वयं निरस्त मानी जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सह. दुग्ध संघ मर्या. सागर

क्र०	दुग्ध शीत केन्द्र / दुग्ध संस्था / गौशाला का नाम	अनुमानित दूरी (कि०मी०)	दरें प्रति मै.टन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करें
1	रतौना (सागर)	18	
2	मिनौरा (टीकमगढ़)	134	
3	खुरई (सागर)	65	
4	गढ़ाघाट (सागर)	60	
5	तेन्दूखेडा (दमोह)	139	
6	पचामा सीहोर	204	
7	शाहगढ़	75	
8	टीकमगढ़	134	
9	गैरतगंज	95	
10	राजनगर	200	
11	पचमा गंजवासौदा	130	
12	छतरपुर	164	
13	सिलवानी (रायसेन)	130	
14	अजयगढ़	264	
15	लटेरी	140	
16	पन्ना	235	
17	जतारा	173	
18	हटा	135	
19	विदिशा	111	
20	मकरोनिया	12	
21	सुहागपुर	200	
22	कीरतपुर	220	
23	नई गल्ला मण्डी सागर	35	
24	भड़राना / चील पहाड़ी	45	
25	कनेरा नीखर	55	
26	बरेली (रायसेन)	130	
27	ग्यारसपुर (विदिशा)	90	
28	रुरावन	50	
29	चौरई	35	
30	सिहोरा (सागर)	35	
31	दमोह	80	
32	विजावर	250	
33	निवाडी	220	
34	आष्टा	247	

35	हरदा	327	
36	पचौर	254	
37	शुजालपुर	252	
38	सोनकच्छ	287	
39	इछावर	223	
40	नरसिंहगढ	170	
41	ब्यावरा	230	
42	पांजरा देवरी	138	
43	राजापुर जिला निवाडी	235	
44	नरसिंहपुर	138	
45	सुल्तानपुर (उत्तरप्रदेश)	496	
46	रायबरेली (उत्तरप्रदेश)	410	
47	कन्नौज (उत्तरप्रदेश)	505	
48	बुलन्दशहर (उत्तरप्रदेश)	623	
49	मुजफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश)	750	
50	झांसी (उत्तरप्रदेश)	230	
51	ललितपुर (उत्तरप्रदेश)	115	
52	महोबा (उत्तरप्रदेश)	215	
53	धौलपुर (राजस्थान)	376	
54	बीकानेर (राजस्थान)	986	
55	लातूर (महाराष्ट्र)	859	
56	नांदेड (महाराष्ट्र)	751	
57	अहमदपुर जिला लातूर (महाराष्ट्र)	800	
58	आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय एवं गौसंरक्षण एवं पर्यावरण सुधार समिति शाहगढ	95	
59	धर्मोदय गौशाला तालसेमरा रहली	75	
60	आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय जीव रक्षा धाम गौशाला रहली रोड खोडी गौरझामर	50	
61	सावरे सरकार गौशाला, सुरखी	35	
62	गौसेवा संघ गौशाला सिलेरा 301 रविशंकर वार्ड सागर	45	
63	आ. विद्यासागर गौसंवर्धन केन्द्र लेहदरा नाका/रतौना	18	
64	मधुवन गौवंश संरक्षण समिति मधुवन (श्री कृष्ण गौशाला) केन्द्रीय जेल	10	
65	दयोदय जीव रक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान खुरई नवोदय स्कूल के सामने पठारी रोड खुरई	85	
66	दयोदय पशु सेवा केन्द्र खिमलासा तह. खुरई	88	
67	आचार्य श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार केन्द्र गांधी मूर्ति के सामने बंडा (बेलई)	40	
68	दयोदय पशु सेवा केन्द्र एवं पर्यावरण संरक्षण सदन बीनाजी बारहा	72	

	देवरी		
69	श्री विद्यासागर पशु संरक्षण दयोदय केन्द्र एवं पर्यावरण समिति पटना गंज रहली	42	
70	दयोदय सेवा सदन भोरदहार बैलई तह. गढ़ाकोटा	52	
71	दयोदय पशु सेवा केन्द्र मण्डी बामोरा तह. बीना जिला सागर	85	
72	दयोदय पशु सेवा केन्द्र मनोरमा वार्ड बीना अटावा तह. बीना	70	
73	श्री राम गौसेवा संघ पटनाखुर्द केसली	48	
74	नारायण गौ संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार सहावन तह. बंडा	42	
75	गौरक्षा सेवा समिति ग्राम राहतगढ़	50	
76	श्री देवजानकी रमण मंदिर ट्रस्ट गौशाला, ग्रा. गौराखुर्द, वि.ख.बंडा	40	
77	श्री साकेत संस्थान, मगरोन पो. खेजरा उद्देत, वि.ख. सागर	39	
78	श्री जागेश्वर धाम गौशाला समिति बांदकपुर तह. दमोह	90	
79	श्री कृष्ण गौशाला समिति ग्राम मुडारी जुझार तह. दमोह	95	
80	वैदमाता गायत्री स्वसहायता गौशाला समिति धनगौर कला तेन्दुखेड़ी	142	
81	आचार्य विद्यासागर दयोदय पशुसेवा केन्द्र तेंदूखेड़ा दमोह	139	
82	श्री राम गौशाला एवं पर्यावरण संवर्धन केन्द्र शा. सजय निकुज के पीछे दो सल्ली रोड श्रीराम मन्दिर दमोह	85	
83	मां. दुर्गा गोसंरक्षण एवं संवर्धन केन्द्र, ग्रा. निरमुडा, वि.ख.पटैरा, जिला दमोह	98	
84	श्री रामकृष्ण गौशाला समि. ग्राम, घोघरा,पो.मढियादो,त.हटा, जिला दमोह	142	
85	राधारमन गौशाला ग्राम हटरी विकास खण्ड दमोह	97	
86	श्री शिवशंकर दीक्षित दादाजी गौशाला तह.हटा जिला दमोह	141	
87	सिद्धबाबा गौशाला समिति ग्राम घोघरा विकास खण्ड हटा	145	
88	श्री कामधेनू गौशाला समिति, ग्राम-बड़गुआं, तह. जवैरा, जिला दमोह	135	
89	श्री सुदर्शनगौशाला एवं गौवंश संवर्धन केन्द्र ग्रा.शहपुरा माल,त. नरियागढ़, जिला दमोह	122	
90	लक्ष्मीदेवी गौशाला समिति, शीशपुर, अमाना	138	
91	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र जबेरा	135	
92	जानकी गौसंरक्षण पर्यावरण केन्द्र नारायणपुर हटा पो. गजपुरा	152	
93	दयोदय पशुसेवा केन्द्र गौशाला ग्राम व पोस्ट पापौड़ा	140	
94	श्री रामराजा गौशाला गुदरई छारद्वारी मंदिर के पास ओरछा तह. निवाड़ी	230	
95	मनियागढ़ शारदा माता छक्कीलाल गौशाला ग्रा. मनिया पो सकेरा बडारन तह. पृथ्वीपुर	260	
96	गौसंरक्षण एवं पर्यावरण समिति, कंचनपुरा,मोहन गढ़, वि.ख. जतारा	188	
97	सुरभि गौवंश सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान, कनक भवन, ओरछा निवाड़ी	192	

98	श्री गोविन्दहरि गोपाल गौशाला, ग्रा. बारना,पो. बमौरी बारना, वि.ख. जतारा, जिला टीकमगढ़	198	
99	श्री सदगुरुदेव गौधाम गौशाला समिति, वि.ख. बलदेवगढ़ त. खरगापुर, जि. टीकमगढ़	136	
100	रामकृष्ण गौशाला समिति बम्हौरी बकसवाहा	148	
101	बुन्देलखण्ड गौशाला सेवा समिति नौगांव पता-नौरा पहाड़ी पो. मउसहानिया	162	
102	कामधेनू भारती गोपाल गौशाला रतनगंज विजावर	144	
103	मौ धंधागिरी गौशाला सेवा समिति वारीगढ़ कार्या कनिक थोक बारीगढ़ तह गौरीघाट	170	
104	नंदिनी गौशाला जागृति युवा समिति ग्राम गुलाट विजावर	182	
105	श्री गोपाल कृषि गौरक्षिणी गौशाला लोक न्यास गल्ला मंडी ग्राम राधेपुर छतरपुर	176	
106	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र गौशाला नौगांव	201	
107	श्री कृष्ण गौशाला समिति कुकरेल हरपालपुर	184	
108	श्री स्वामी परमानंद गौधाम गौशाला ग्राम सिजई तह लोडी	190	
109	कन्हैया ग्वाला गौशाला सूरजपुर रमना ग्राम कर्टिया तह. लौडी	191	
110	श्री धनुषधारी गौसेवा समिति, ग्राम बंधीकलां	178	
111	दयोदय पशु संवर्धन केन्द्र एवं पर्यावरण संस्थान गौशाला, श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, डेरा पहाड़ी, वि.ख. ईसानगर, छतरपुर	172	
112	श्री गोरेलाल जी कुंज गौ सेवा समिति,ग्राम उटवास वि.ख.बकस्साहा तह. बकस्वाहा	189	
113	राधारानी गौशाला सेवा समिति ग्राम, भागवा वि.ख. बड़मलहरा, धुवारा	202	
114	कामतानाथ गौशाला समिति, ग्राम, मड़रका, पो. लुगासी तह. नौगांव	208	
115	श्री विद्यासागर गौरक्षा एवं संवर्धन समिति ग्राम व तह. पवई	272	
116	श्री राम असहाय जैन चैरिटिबल सोसायटी समिति. ग्राम पंचायत झिन्ना, अजयगढ़	269	
117	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र अजयगढ़ तह अजयगढ़	264	
118	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र गौशाला भैसवाही पो महो तह. गुरनोर	281	
119	सिद्धनाथ गौसेवा सदन, देवगांव जिला पन्ना	238	
120	गढ़ाकोटा	56	
121	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत सेमरा मडिया, वि.खं. दमोह	97	
122	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत बौदकपुर, वि.खं. दमोह	93	
123	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत मुडिया, वि.खं. दमोह	93	
124	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत बौसा, वि.खं. दमोह	69	
125	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत कुंवरपुर खेजरा, वि.खं. दमोह	135	
126	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत बकेनी, वि.खं. पथरिया	61	
127	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़, वि.खं. पथरिया	85	
128	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत बेलखेडी, वि.खं. हटा	170	

129	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत गैसाबाद, वि.खं. हटा	143	
130	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत हिनौता, वि.खं. हटा	116	
131	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत सेडारा, वि.खं. बटियागढ	85	
132	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत शहजादपुरा, वि.खं. दमोह	82	
133	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत पुरताल, वि.खं. बटियागढ	83	
134	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत भिलौनी, वि.खं. बटियागढ	95	
135	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत फुटेरा, वि.खं. बटियागढ	105	
136	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत मंगोला, वि.खं. बटियागढ	102	
137	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत बरीकनौरा, वि.खं. बटियागढ	112	
138	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत मौसीपुरा, वि.खं. जबेरा	116	
139	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत मुडेरी, वि.खं. जबेरा	135	
140	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत नोहटा, वि.खं. जबेरा	98	
141	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत हरई, वि.खं. तेन्दूखेडा	118	
142	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत झलौन, वि.खं. तेन्दूखेडा	110	
143	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना ग्राम पंचायत सैलबाडा, वि.खं. तेन्दूखेडा	135	
144	कुडार गौशाला, वि.खं. निवाडी	245	
145	कठउ पहाडी गौशाला, वि.खं. निवाडी	255	
146	नयाखेरा, कुलुआ गौशाला वि.खं. निवाडी	206	
147	मडिया गौशाला, वि.खं. निवाडी	235	
148	विरोराखेत गौशाला, वि.खं. निवाडी	210	
149	मनिया गौशाला, वि.खं. निवाडी	235	
150	अंतौरा गौशाला, वि.खं. टीकमगढ	172	
151	सापौन गौशाला, वि.खं. टीकमगढ	189	
152	जसबंत नगर गौशाला, वि.खं. टीकमगढ	210	
153	मामौन गौशाला, वि.खं. टीकमगढ	190	
154	गोपालपुरा गौशाला, वि.खं. टीकमगढ	153	
155	रामनगर गौशाला, वि.खं. जतारा	142	
156	बम्होरी गौशाला, वि.खं. जतारा	180	
157	मांची गौशाला, वि.खं. जतारा	195	
158	लारखुर्द गौशाला, वि.खं. जतारा	201	
159	कुम्हेडी गौशाला, वि.खं. जतारा	189	
160	करमासन हटा गौशाला, वि.खं. बल्देवगढ	220	
161	इमलाना गौशाला, वि.खं. बल्देवगढ	210	
162	लुहर्ग गौशाला, वि.खं. बल्देवगढ	219	
163	देवरदा गौशाला, वि.खं. बल्देवगढ	189	
164	खजरार गौशाला, वि.खं. बल्देवगढ	198	
165	लडवारी खास गौशाला, वि.खं. बल्देवगढ	212	
166	चंद्रपुरा गौशाला, वि.खं. बल्देवगढ	185	

167	रमपुरा गौशाला, वि.खं. बल्देवगढ	211	
168	लखेरी गौशाला, वि.खं. बल्देवगढ	230	
169	बुदौरा गौशाला, वि.खं. बल्देवगढ	219	
170	सरकर खालसा गौशाला, वि.खं. बल्देवगढ	187	
171	गोवा गौशाला, वि.खं. पलेरा	223	
172	बूदौर गौशाला, वि.खं. पलेरा	241	
173	हनौता गौशाला, वि.खं. पलेरा	250	
174	महेन्द्र महेबा गौशाला, वि.खं. पलेरा	244	
175	खैरा गौशाला, वि.खं. पलेरा	221	
176	गडारी गौशाला, वि.खं. पलेरा	242	
177	कुडयाला गौशाला, वि.खं. पलेरा	257	
178	रतवास गौशाला, वि.खं. पलेरा	229	
179	बराना गौशाला, वि.खं. पलेरा	235	
180	जरूवा गौशाला, वि.खं. पलेरा	218	
181	टौरी गौशाला, वि.खं. पलेरा	235	
182	टीला नरेनी गौशाला, वि.खं. पलेरा	242	
183	श्री कृष्ण गौशाला मामौन	195	
184	पगारा धाम गौशाला जसवंतनगर	210	
185	कामधेनु गौशाला कुडयाला	257	
186	श्रीनगर गौशाला वि.खं. टीकमगढ	185	
187	सुन्दरपुर गौशाला वि.खं. टीकमगढ	192	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

अनुलग्नक- द.

मैंने/हमने/ निविदा (टेण्डर) की समस्त शर्तों (क्रमांक 1 से 49 तक) को अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लिया है, एवं इकरार नामें की पूर्ण शर्तें मान्य हैं। उपरोक्त भाव पर हम/मैं ठेका लेने को तैयार हूँ। ये भाव पशु आहार संयंत्र सिरौंजा (सागर) से उपरोक्त दर्शाये गये स्थानों तक के लिये प्रति मैट्रिक टन के आधार पर दिये गये हैं।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता _____